

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

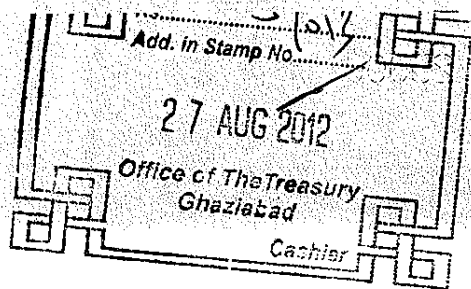
C 008276

पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली
भूमि की धनराशि को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेतागण व
विक्रेतागण वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे
वसूल करा सकते है जिस पर प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को कोई
आपत्ति नहीं होगी।

Ghand

NPi

Kumar





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 008275

8. अतः अब विक्रय पश्चात् विक्रीत भूमि की मिल्कियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

Chand

Malin

Kurau

Add. in Stamp No.

27 AUG 2012

Office of The Treasury
Ghaziabad

Cashier





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 008274

9. विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता कम्पनी ने वहन किया है।

Ghand

Nazim

Kumar

